* उपराष्ट्रपति *

(अनुच्छेद – 63) (अमेरिका से)

- अनुच्छेद-63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।
- अनुच्छेद-64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा।
- अनुच्छेद-65 के अनुसार राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। (और यदि

इस उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित हो तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा।

* उपराष्ट्रपति का निर्वाचन (अनुच्छेद-66) → उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है।

* चुनाव की विधि → आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है।

* योग्यता → 1. 35 वर्ष की आयु प्राप्त हो।
2. राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो।

* कार्यकाल → पद ग्रहण से 5 वर्ष।

* त्यागपत्र → राष्ट्रपति को देता है।

* शपथ → राष्ट्रपति दिलाता है।

* पद से हटाने की प्रक्रिया → उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा के द्वारा के द्वारा लाया जाता है तथा राज्यसभा इसे विशेष बहुमत ($\frac{2}{3}$) से पारित करती है। इसके पश्चात लोकसभा साधारण बहुमत से इसका अनुमोदन / पारित करती है।

Note → उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की शक्ति संसद के दोनोंसदनों को या संसद को प्राप्त है। जबकि विशेष शक्ति राज्यसभा को प्राप्त है।

* उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगता।

* महत्वपूर्ण तथ्य :→

1. उपराष्ट्रपति के चुनाव तथा योग्यता, अयोग्यता संबंधी विवाद पर अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है।
2. उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 20 प्रस्तावक व 20 अनुमोदक अनिवार्य है।
3. उपराष्ट्रपति को वेतन, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में प्राप्त होता है। क्योंकि उसका सबसे पहला एवं प्रमुख कार्य राज्य सभा का सभापतित्व करना होता है।
4. उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता।
5. उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके पद पर कार्य राज्यसभा का उपसभापति करता है।
6. उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर अधिकतम 6 माह तक कार्य कर सकता है।
7. राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को देता है।
8. उपराष्ट्रपति कृष्णकांत की मृत्यु पद पर रहते हुई थी।
9. प्रथम उपराष्ट्रपति डॉ राधाकृष्णन एवं मोहम्मद हामिद अंसारी लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे है।
10. उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में भारत का संचित निधि से प्राप्त होता है।
(वर्तमान में - 4 लाख रुपये)

वर्तमान उपराष्ट्रपति – एम. वेंकैया नायडू (13वें) सीमांध्र के निवासी है। (आंध्रप्रदेश)

* उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ → 1. राज्य सभा के पदेन सभापति के रूप में शक्तियाँ :→

2. कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शक्तियाँ :→ राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने, त्याग पत्र दे देने, पद से हटा दिये जाने, अथवा अन्य किसी भी कारण से अनुपस्थित हो जाने पर उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का प्रयोग करता है, तथा इस अवधि में उसे समस्त वेतन भत्ते आदि राष्ट्रपति के रूप में ही प्राप्त होते है।